

परिशिष्ट "ख" समूह— "क" एवं "ख"
(विनियम—5 और 8 देखिये)

| क्रमांक | पद का नाम | वर्तमान में भर्ती का स्रोत | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हतायें | पदनाम | प्रस्तावित भर्ती का स्रोत | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हतायें | औचित्य |
|-----------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| समूह—"क" के पद | | | | | | | |
| 1. | ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य रसायनज्ञ, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य रसायनज्ञ, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों एवं प्राचार्य में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | प्राचार्य एवं उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद समान होने के कारण। |
| 2. | (एक) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक, सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग और सहायकनिदेशक उद्योग, सह निबन्धक (सहकारिता) एवं विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में | | (एक) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक, सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग और सहायकनिदेशक उद्योग, सह निबन्धक (सहकारिता) एवं विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|
| | | तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | | हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | |
| | (दो) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण) | मौलिक रूप से नियुक्त प्राचार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में से, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | (दो) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण) | मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक, सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग और सहायकनिदेशक उद्योग, सह निबन्धक (सहकारिता) एवं विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | प्राचार्य का पद वरिष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु किया जाना है। |
| | (तीन) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन) | मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक और सहायक निदेशक उद्योग में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | (तीन) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन) | मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक, सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग और सहायकनिदेशक उद्योग, सह निबन्धक (सहकारिता) एवं विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | प्राचार्य का पद वरिष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु किया जाना है। |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|---|--|
| 3. | प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र | <p>(क) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।</p> <p>(ख) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा</p> | <p>अनिवार्य—1—स्नातक उपाधि, 2—सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं का प्रबन्ध या प्रशासन का पांच वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हता—1— उद्यमियों को प्रशिक्षण और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र के संगठित करने और स्थापित करने में मार्गदर्शन प्रदान करने की योग्यता, 2— कारीगरों को प्रशिक्षण और उद्योग स्थापित करने की योग्यता, 3— व्यवसाय प्रशासन या प्रबन्ध में स्नातकोत्तर उपाधि।</p> | प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र | <p>(क) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।</p> <p>(ख) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा</p> | <p>अनिवार्य—1—स्नातक उपाधि, 2—सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं का प्रबन्ध या प्रशासन का पांच वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हता—1— उद्यमियों को प्रशिक्षण और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र के संगठित करने और स्थापित करने में मार्गदर्शन प्रदान करने की योग्यता, 2— कारीगरों को प्रशिक्षण और उद्योग स्थापित करने की योग्यता, 3— व्यवसाय प्रशासन या प्रबन्ध में स्नातकोत्तर</p> | |
|----|--|---|--|--|---|---|--|

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---|--|----------------------|---|--|--|
| | | | | | | उपाधि। | |
| 4. | मुख्य रसायनज्ञ | मौलिक रूप से नियुक्त रसायनज्ञों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | मुख्य रसायनज्ञ | मौलिक रूप से नियुक्त रसायनज्ञों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | |
| 5. | औद्योगिक परामर्शदाता | सीधी भर्ती | 1-स्नातक उपाधि, 2-सम्बन्धित विशिष्टता के क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर डिजाइनिंग, उत्पादन, परामर्श, अनुसंधान विकास और उत्पादन कार्य में मार्गदर्शन एवं उद्योगों की स्थापना में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव। | औद्योगिक परामर्शदाता | सीधी भर्ती | 1-स्नातक उपाधि, 2-सम्बन्धित विशिष्टता के क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर डिजाइनिंग, उत्पादन, परामर्श, अनुसंधान विकास और उत्पादन कार्य में मार्गदर्शन एवं उद्योगों की स्थापना में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव। | |

| समूह—“ख” के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|--|
| 1. | विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) | सीधी भर्ती द्वारा | 1—किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 2— कम्प्यूटर कार्य का एक वर्ष का अनुभव। | विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) | सीधी भर्ती द्वारा | 1—किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 2— कम्प्यूटर कार्य का एक वर्ष का अनुभव। | |
| 2. | (एक) सहायक निदेशक उद्योग (खादी | मौलिक रूप से नियुक्त प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में | | (एक) सहायक निदेशक उद्योग (खादी | मौलिक रूप से नियुक्त प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|
| | विकास) | तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | विकास) | कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | |
| | (दो) सहायक निदेशक उद्योग (कम्बल योजना) | मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक (कम्बल) तथा व्यवस्थापक (कम्बल) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | (दो) सहायक निदेशक उद्योग (कम्बल योजना) | मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक (कम्बल) तथा प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | व्यवस्थापक (कम्बल) का पद ग्रेड पे-4200 का है। अतः इसे प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) पद पर पदोन्नति हेतु ले जाया गया है तथा प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) को भी प्रशिक्षक (कम्बल) के साथ ग्रेड पे-4600 होने के कारण जोड़ा गया है। |
| | (तीन) सहायक निदेशक उद्योग (चर्म विकास योजना) | मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक (चर्म) और क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (चर्म) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | (तीन) सहायक निदेशक उद्योग (चर्म विकास योजना) | मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक (चर्म) तथा प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (चर्म) का पद ग्रेड पे-4200 का है। अतः इसे प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) पद पर पदोन्नति हेतु ले जाया गया है तथा प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) को भी प्रशिक्षक (चर्म) के साथ ग्रेड पे-4600 होने के कारण जोड़ा गया है। |
| | (चार) सहायक निदेशक उद्योग (हाथ कागज | मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक (हाथ कागज) और उत्पादन अधीक्षक (हाथ कागज कालपी) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में | | (चार) सहायक निदेशक उद्योग (हाथ कागज | मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक (हाथ कागज) तथा प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, | | उत्पादन अधीक्षक का पद ग्रेड पे-4200 का है। अतः इसे प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) पद पर पदोन्नति हेतु ले जाया गया है तथा प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) को भी प्रशिक्षक (हाथ कागज) के |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---|--|---------------------|---|--|---|
| | योजना) | तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | योजना) | ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | साथ ग्रेड पे-4600 होने के कारण जोड़ा गया है। |
| 3. | ज्येष्ठ प्रबन्धक | मौलिक रूप से नियुक्त प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम), गुड़ विकास अधिकारी और ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | ज्येष्ठ प्रबन्धक | मौलिक रूप से नियुक्त लेखा संवर्ग के ग्रेड पे-4600 के पदों हेतु एक पद, गुड़ एवं ताड़ गुड़ विकास अधिकारी ग्रेड पे-4600, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, ग्रेड पे-4600 के दो पदों, कुल चार पदों हेतु एक पद एवं लिपिकीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड पे-4600 हेतु 2 पदों को पदोन्नति हेतु आरक्षित करते हुये शेष पदों पर प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) एवं ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड पे-4600 के 07 पद हेतु 02 पद। गुड़/ताड़गुड़ विकास अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, ग्रेड पे-4600 के कुल चार पदों हेतु 01 पद। लेखा संवर्ग के ग्रेड पे-4600 के पदों हेतु 01 पद आरक्षित करते हुये शेष पदों पर प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) एवं ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम) की पदोन्नति हेतु व्यवस्था की जानी है। |
| 4. | सह निबन्धक (सहकारित) | मौलिक रूप से नियुक्त प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम) | | सह निबन्धक (सहकारि) | मौलिक रूप से नियुक्त प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम) में से, जिन्होंने भर्ती के | | सहकारिता प्रशिक्षित शब्द हटा गया है। |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|---|
| | 1) | (सहकारिता प्रशिक्षित) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | ता) | वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | |
| (ख) लेखा संवर्ग | | | | | | | |
| | सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग | मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाधिकारी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग | मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-। में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-। एवं सहायक लेखाधिकारी का पद वेतनमान समान होने पर। |
| (ग) प्रयोगशाला संवर्ग | | | | | | | |
| | रसायनज्ञ | सीधी भर्ती | अनिवार्य योग्यता- (क) कार्बनिक रसायन विज्ञान के साथ परास्नातक उपाधि (2) किसी भी प्रयोगशाला में 03 वर्ष का रसायनिक विश्लेषण (खाद्य | रसायनज्ञ | सीधी भर्ती | अनिवार्य योग्यता- (क) कार्बनिक रसायन विज्ञान के साथ परास्नातक उपाधि (2) किसी भी | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | <p>पदार्थ जैसे शहद, तेल, मसाले आदि) के अनुभव को वरीयता।</p> <p>1- गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण</p> <p>2- रासायनिक विश्लेषण में 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव।</p> | | | <p>प्रयोगशाला में 03 वर्ष का रासायनिक विश्लेषण (खाद्य पदार्थ जैसे शहद, तेल, मसाले आदि) के अनुभव को वरीयता।</p> <p>1- गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण</p> <p>2- रासायनिक विश्लेषण में 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव।</p> | |
| <p>अधीनस्थ समूह—“ख” के पद</p> <p>(क) प्रशासनिक संवर्ग</p> | | | | <p>अधीनस्थ समूह—“ख” के पद</p> <p>(क) प्रशासनिक संवर्ग</p> | | | |
| 1. | <p>प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) / ग्रामोद्योग अधिकारी</p> | <p>(क) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा</p> | <p>(क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से खादी ग्रामोद्योग का 10 मास का प्रशिक्षण।</p> | <p>प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) / ग्रामोद्योग अधिकारी</p> | <p>(क) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा</p> | <p>(क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से खादी ग्रामोद्योग का 10 मास का</p> | |

| | (प्रथम) | | | (प्रथम) | | प्रशिक्षण। | |
|-----------------------------|------------------|--|---|------------------|---|---|---|
| | | (ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ग्रामोद्योग अधिकारी श्रेणी (2) और कार्यालय अधीक्षक (प्रथम), वैयक्तिक सहायक, प्रदर्शनी अधिकारी, कारबारी व्यवस्थापक, आफीसर इंचार्ज (प्रशिक्षण एवं लेखा), क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (लेखा) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | | (ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ग्रामोद्योग अधिकारी द्वितीय, तकनीकी अधिकारी (कुम्हारी), सहायक विकास अधिकारी (प्रथम), ज्येष्ठ औद्योगिक सहकारी निरीक्षक, उत्पादन अधीक्षक (हाथ कागज-कालपी), व्यवस्थापक (कम्बल) क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (चर्म), क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), प्रदर्शनी अधिकारी, कारबारी व्यवस्थापक, आफीसर इंचार्ज (प्रशिक्षण एवं लेखा) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | वेतनमान समान होने के कारण एवं ग्रेड पे-4600 पर लिये जाने के कारण। |
| (ख) प्रशिक्षक संवर्ग | | | (ख) प्रशिक्षक संवर्ग | | | | |
| 1. | प्रशिक्षक (खादी) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित | प्रशिक्षक (खादी) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | | | पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 2. | प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 3. | प्रशिक्षक (रेशा) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान | प्रशिक्षक (रेशा) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------------|--|---------------------------|-------------------|--|--|
| | | | से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | | | पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 4. | प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 5. | प्रशिक्षक (मधुमक्खी पाल) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) जीवन विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि या कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण | प्रशिक्षक (मधुमक्खी पाल) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) जीवन विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि या कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | | | इससे प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 6. | प्रशिक्षक (कुम्हारी) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में संगठक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से सिरेमिक ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | प्रशिक्षक (कुम्हारी) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में संगठक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से सिरेमिक ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 7. | प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं | प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|---|-------------------|---|--|
| | | | से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | | | आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 8. | प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 9. | प्रशिक्षक (लोहारी / बढईगीरी) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय | प्रशिक्षक (लोहारी / बढईगीरी) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------------|--|---------------------------|-------------------|--|--|
| | | | संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | | | में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 10. | प्रशिक्षक (खाद्यसंरक्षण) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्था से ट्रेड में 6 माह का प्रशिक्षण अथवा राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | प्रशिक्षक (खाद्यसंरक्षण) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्था से ट्रेड में 6 माह का प्रशिक्षण अथवा राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 11. | प्रशिक्षक (बांस और बेंत) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड | प्रशिक्षक (बांस और बेंत) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) विज्ञान में स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | में डिग्री या डिप्लोमा। | | | प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 12. | प्रशिक्षक (कम्बल) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | प्रशिक्षक (कम्बल) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 13. | प्रशिक्षक (चर्म) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | प्रशिक्षक (चर्म) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|----------------------------|
| | | | डिप्लोमा। | | | राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| 14. | प्रशिक्षक (हाथ कागज) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | प्रशिक्षक (हाथ कागज) | सीधी भर्ती द्वारा | (क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा। | |
| (ग) ताड़ गुड़ संवर्ग | | | | (ग) ताड़ गुड़ संवर्ग | | | |
| | (एक) गुड़ विकास अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुड़) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार | | (एक) गुड़ विकास अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुड़), ज्येष्ठ गुड़ विकास निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते | | समान वेतनमान होने के कारण। |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| | | करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | | हुये, पदोन्नति द्वारा। | | |
| | (दो) ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त शोध रसायनज्ञ (ताड़ उत्पाद) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | (दो) ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त शोध रसायनज्ञ (ताड़ उत्पाद), सहायक बाटनिष्ट (ताड़गुड़) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | समान वेतनमान होने के कारण। |
| (ग) लेखा संवर्ग | | | | (ग) लेखा संवर्ग | | | |
| | सहायक लेखा अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (लेखा) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | सहायक लेखा अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (लेखा) का पद समाप्त हो गया है। |
| | | | | ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-। | मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं भण्डार सत्यापक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के | | शासनादेश सं०-954/59-1-2006-37 (खा)/2006 दिनांक 25 अगस्त, 2008 में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर तथा वेतन समिति उ०प्र० 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---|--|--|
| | | | | 15 प्रतिशत पद धारक ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-। पर तैनाती हेतु अर्ह होंगे, जिन्होंने शासनादेश संख्या आडिट 4023/दस- 4-322(6)04टी. सी. दिनांक 06 सितम्बर, 2004 द्वारा निर्धारित द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पदोन्नति द्वारा। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें समयबद्ध रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। | | भाग-2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार जिसके द्वारा उक्त संवर्ग के पदों का वेतनमान ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 का ग्रेड पे-4200 तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2800 एवं लेखा परीक्षक का ग्रेड पे-2400 किया गया है, जिसका संशोधन उक्तानुसार किया जाना है। |
| | | | | (ग) लिपिकीय संवर्ग | | |
| | | | प्रशासनि क अधिकारी | मौलिक रूप से नियुक्त प्रधान सहायक, में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। | | शासनादेश संख्या-701/59-1-2004-25(खा)/2010 दिनांक 20 अगस्त, 2014 में निहित प्राविधानानुसार उक्तानुसार पदों का पुनर्गठन किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी। |
| | | | | (ग) आशुलिपिक संवर्ग | | |
| | | | वैयक्तिक सहायक ग्रेड-। | इन पद पर समायोजन/पदोन्नति हेतु वैयक्तिक सहायक ग्रेड-।।/समकक्ष पद पर की | | शासनादेश सं-13ई0एम0-187-क-4/2005 दिनांक 26 अगस्त, 2005 में निर्धारित स्टाफिंग |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | गयी न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा अथवा संवर्ग में की गयी कुल 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा आवश्यक होगी। | | पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का समायोजन। |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

परिशिष्ट "क" (समूह-'क' एवं 'ख')
(विनियम-4 और 22 देखिये)

| सेवा विनियमवली में वर्तमान व्यवस्था | | | | | | सेवा विनियमवली में संशोधन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था | | | | | | | नियुक्ति प्राधिकारी |
|-------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----|--|---|-------------|------------|--------------|---------|-----|----------------------------|
| क्र. सं. | पद का नाम | वेतनमान | पद की संख्या | | | क्र. सं. | पद का नाम | वेतन बैंड | ग्रेड वेतन | पद की संख्या | | | |
| | | | स्था ई | अस्थ आई | योग | | | | | स्था ई | अस्थ आई | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | 1 | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | | | | | | शासन स्तर से आई.एस. संवर्ग |
| | | | | | | 2. | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 37400.67000 | 8700 | 1 | 0 | 1 | शासन स्तर से |
| | | | | | | 3. | मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी | | | 1 | 0 | 1 | शासन स्तर से |
| | | | | | | 4. | लेखाधिकारी | | | 1 | 0 | 1 | |
| | | | | | | 5. | संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी | | | 1 | 0 | 1 | शासन स्तर |
| | | | | | | 6. | संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी.सी.एस. के विपक्ष में विभागीय उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15600.39100 | 6600 | 0 | 13 | 13 | नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड |

| समूह—“क” के पद | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|-----------------------|---|----|----|--|---|-------------|------|---|----|----|----------------------------------|
| 1 | | ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 12000.375.16500 रूपये | 0 | 1 | 1 | | ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15600.39100 | 7600 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | (एक) | उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 10000.325.15200 रूपये | 1 | 3 | 4 | | उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15600.39100 | 6600 | 1 | 4 | 5 | एक पद छूट गया था, जिसे जोड़ा गया |
| 3 | (दो) | उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण) | 10000.325.15200 रूपये | 0 | 1 | 1 | | उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण) | 15600.39100 | 6600 | 0 | 1 | 1 | नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड |
| 4 | (तीन) | उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन) | 10000.325.15200 रूपये | 0 | 1 | 1 | | उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन) | 15600.39100 | 6600 | 0 | 1 | 1 | .कव. |
| 5 | | प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र | 10000.325.15200 रूपये | 0 | 3 | 3 | | प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र | 15600.39100 | 6600 | 0 | 3 | 3 | .कव. |
| 6 | | मुख्य रसायनज्ञ | 10000.325.15200 रूपये | 0 | 2 | 2 | | मुख्य रसायनज्ञ | 15600.39100 | 6600 | 0 | 2 | 2 | .कव. |
| | | औद्योगिक परामर्शदाता | रु0 5000 संकलित | 0 | 2 | 2 | | औद्योगिक परामर्शदाता | | | 0 | 2 | 2 | .कव. |
| समूह—“ख” के पद | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) प्रशासनिक संवर्ग | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) | 8000.275.13500 रूपये | 0 | 1 | 1 | | विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) | 15600.39100 | 5400 | 0 | 1 | 1 | मु0का0अधि0 |
| 2 | (एक) | सहायक निदेशक उद्योग (खादी विकास) | 8000.275.13500 रूपये | 1 | 0 | 1 | | सहायक निदेशक उद्योग (खादी विकास) | 15600.39100 | 5400 | 1 | 0 | 1 | मु0का0अधि0 |
| | (दो) | सहायक निदेशक उद्योग (कम्बल योजना) | 8000.275.13500 रूपये | 1 | 0 | 1 | | सहायक निदेशक उद्योग (कम्बल योजना) | 15600.39100 | 5400 | 1 | 0 | 1 | मु0का0अधि0 |
| | (तीन) | सहायक निदेशक उद्योग (चर्म विकास योजना) | 8000.275.13500 रूपये | 1 | 0 | 1 | | सहायक निदेशक उद्योग (चर्म विकास योजना) | 15600.39100 | 5400 | 1 | 0 | 1 | मु0का0अधि0 |
| | (चार) | सहायक निदेशक उद्योग (हाथ कागज योजना) | 8000.275.13500 रूपये | 1 | 0 | 1 | | सहायक निदेशक उद्योग (हाथ कागज योजना) | 15600.39100 | 5400 | 1 | 0 | 1 | मु0का0अधि0 |
| 3 | | ज्येष्ठ प्रबन्धक | 8000.275.13500 रूपये | 0 | 12 | 12 | | ज्येष्ठ प्रबन्धक | 15600.39100 | 5400 | 0 | 12 | 12 | मु0का0अधि0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|----------------------|---|----|----|--------|---|-------------|------|---|----|----|------------|
| 4 | | सह निबन्धक (सहकारिता) | 8000.275.13500 रूपये | 1 | 0 | 1 | | सह निबन्धक (सहकारिता) | 15600.39100 | 5400 | 1 | 0 | 1 | मु0का0अधि0 |
| (ख) लेखा संवर्ग | | | | | | | | | | | | | | |
| | | सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग | 8000.275.13500 रूपये | 1 | 0 | 1 | | सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग | 15600.39100 | 5400 | 1 | 0 | 1 | मु0का0अधि0 |
| (ग) प्रयोगशाला संवर्ग | | | | | | | | | | | | | | |
| | | रसायनज्ञ | 8000.275.13500 रूपये | 0 | 2 | 2 | | रसायनज्ञ | 15600.39100 | 5400 | 0 | 2 | 2 | मु0का0अधि0 |
| अधीनस्थ समूह-“ख” के पद | | | | | | | | | | | | | | |
| (क) प्रशासनिक संवर्ग | | | | | | | | | | | | | | |
| | | प्रबन्धक(खादी तथा ग्रामोद्योग / ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम) | 6500.200.10500 रूपये | 3 | 36 | 39 | | प्रबन्धक(खादी तथा ग्रामोद्योग / ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम) | 9300.34800 | 4600 | 3 | 36 | 39 | मु0का0अधि0 |
| (ख) प्रशिक्षक संवर्ग | | | | | | | | | | | | | | |
| | (एक) | प्रशिक्षक (खादी) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 7 | 7 | (एक) | प्रशिक्षक (खादी) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 7 | 7 | मु0का0अधि0 |
| | (दो) | प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 6 | 6 | (दो) | प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 6 | 6 | मु0का0अधि0 |
| | (तीन) | प्रशिक्षक (रेशा) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 3 | 3 | (तीन) | प्रशिक्षक (रेशा) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 3 | 3 | मु0का0अधि0 |
| | (चार) | प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 6 | 6 | (चार) | प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 6 | 6 | मु0का0अधि0 |
| | (पांच) | प्रशिक्षक (मधमुखी पालन) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 7 | 7 | (पांच) | प्रशिक्षक (मधमुखी पालन) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 7 | 7 | मु0का0अधि0 |
| | (छः) | प्रशिक्षक (कुम्हारी) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 2 | 2 | (छः) | प्रशिक्षक (कुम्हारी) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 2 | 2 | मु0का0अधि0 |
| | (सात) | प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 3 | 3 | (सात) | प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 3 | 3 | मु0का0अधि0 |
| | (आठ) | प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 3 | 3 | (आठ) | प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 3 | 3 | मु0का0अधि0 |
| | (नौ) | प्रशिक्षक (लोहारी / बढईगिरी) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 3 | 3 | (नौ) | प्रशिक्षक (लोहारी / बढईगिरी) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 3 | 3 | मु0का0अधि0 |
| | (दस) | प्रशिक्षक (खाद्य संरक्षण) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 2 | 2 | (दस) | प्रशिक्षक (खाद्य संरक्षण) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 2 | 2 | मु0का0अधि0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|---|----------|------------------------------|------------|------|---|---|---|------------|--|
| | संरक्षण) | | | | | | | | | | | | | |
| (ग्यारह) | प्रशिक्षक (बांस और बेंत) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 1 | 1 | (ग्यारह) | प्रशिक्षक (बांस और बेंत) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 1 | 1 | मु0का0अधि0 | |
| (बारह) | प्रशिक्षक (कम्बल) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 1 | 1 | (बारह) | प्रशिक्षक (कम्बल) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 1 | 1 | मु0का0अधि0 | |
| (तेरह) | प्रशिक्षक (चर्म) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 1 | 1 | (तेरह) | प्रशिक्षक (चर्म) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 1 | 1 | मु0का0अधि0 | |
| (चौदह) | प्रशिक्षक (हाथ कागज) | 6500.200.10500 रूपये | 0 | 1 | 1 | (चौदह) | प्रशिक्षक (हाथ कागज) | 9300.34800 | 4600 | 0 | 1 | 1 | मु0का0अधि0 | |
| (ग) ताड़ गुड संवर्ग | | | | | | | (ग) ताड़ गुड संवर्ग | | | | | | | |
| | गुड विकास अधिकारी | 6500.200.10500 रूपये | 1 | 0 | 1 | | गुड विकास अधिकारी | 9300.34800 | 4600 | 1 | 0 | 1 | मु0का0अधि0 | |
| | ताड़ उत्पादन विकास अधिकारी | 6500.200.10500 रूपये | 1 | 0 | 1 | | ताड़ उत्पादन विकास अधिकारी | 9300.34800 | 4600 | 1 | 0 | 1 | मु0का0अधि0 | |
| (घ) लेखा संवर्ग | | | | | | | (घ) लेखा संवर्ग | | | | | | | |
| | सहायक लेखाधिकारी | 6500.200.10500 | 0 | 2 | 2 | | सहायक लेखाधिकारी | 9300.34800 | 4600 | 0 | 2 | 2 | मु0का0अधि0 | |
| | | | | | | | ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-। | 9300.34800 | 4600 | 6 | 0 | 6 | मु0का0अधि0 | |
| (ङ) लिपिकीय संवर्ग | | | | | | | (ङ) लिपिकीय संवर्ग | | | | | | | |
| | | | | | | | प्रशासनिक अधिकारी | 9300.34800 | 4600 | 7 | 0 | 7 | मु0का0अधि0 | |
| (च) आशुलिपिक संवर्ग | | | | | | | (च) आशुलिपिक संवर्ग | | | | | | | |
| | | | | | | | वैयक्तिक सहायक ग्रेड-। | 9300.34800 | 4600 | 2 | 0 | 2 | मु0का0अधि0 | |